उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून की सातवीं बैठक
दिनांक 27.05.2014 के कार्यवृत्त

कार्यालय उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की सातवीं बैठक **डा0 राकेश शाह, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड** की अध्यक्षता में दिनांक 27.05.2014 को उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड कार्यालय, 108/II, वसन्त विहार, देहरादून स्थित 'बोर्ड रूम' में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए –

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	डा0 पी0पी0 ध्यानी	निदेशक, गो0ब0 पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी कटारमल, अल्मोड़ा।
2	श्री जी0एस0 पाण्डे	सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
3	डा0 के0के0 जोशी	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, पशुधन भवन, मोथरोवाला, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4	श्री एम0एस0 तोमर	उप–निदेशक, कृषि विभाग, नन्दा की चौकी प्रेमनगर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5	डा0 एस0के0 श्रीवास्तव	संयुक्त निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, कौलागढ रोड, देहरादून।
6	डा0 सी0पी0 कुनियाल	वैज्ञानिक–बी, जड़ी बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर।
7	डा0 संगीता गुप्ता	प्रमुख वनस्पति विभाग, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।
8	डा0 अर्चना बहुगुणा	वैज्ञानिक, भारतीय वन्य जन्तु सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून।

इस कार्यालय के पत्रांक–535/जै0वि0बो0, 16–3 दिनांक 25.04.2014 एवं पत्रांक–536/जै0वि0बो0, 16–3 दिनांक 25.04.2014 के द्वारा बोर्ड बैठक का **'एजेण्डा बिन्दु'** सभी आमंत्रियों को पूर्व ही प्रेषित कर दिया गया था। उक्त बैठक में विभिन्न बिन्दुओं/एजेण्डा सम्बन्धी विषयों पर हुए विचार–विमर्श का विवरण निम्नवत् है –

1. **एजेण्डा नं0 1 :– अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बोर्ड के सदस्यों व विशेष आमंत्रियों का स्वागत एवं बोर्ड की गतिविधियों से परिचय कराना :**

   अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों/आमंत्रियों का स्वागत करते हुए बोर्ड की गतिविधियों से सदस्यों को परिचित कराया गया।

2. **एजेण्डा नं0 2 :– उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की छठी बैठक दिनांक 20.03.2013 के कार्यवृत्त का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गयाः–**

   (i) लोक जैव विविधता पंजिका (PBR) बनाने में सहायता प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा पूर्व में विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं को चिन्हित किया गया है। इन संस्थाओं का चयन एक तकनीकी समिति के द्वारा परीक्षण के उपरान्त किया गया है तथा गुणवत्तापूर्ण लोक जैव विविधता पंजिका बनाने में इन संस्थाओं की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये बोर्ड द्वारा इन समस्त संस्थाओं को तकनीकी सहायता समूह (TSG) के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर गठित विशेषज्ञ समिति का विस्तार करने हेतु सदस्यों को विशेषज्ञ समिति की सूची उपलब्ध कराते हुये उनसे अन्य विशेषज्ञों के नाम भी प्राप्त किये जायें तथा इस तैयार सूची को बोर्ड के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा अगली बोर्ड बैठक में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (Anthropological Survery of India) संस्थान के निदेशक को विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित करने हेतु निर्देश दिया गया।

(ii) जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (BMC) का गठन किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया गया।

(iii) 06 विकासखण्ड स्तरों पर लोक जैव विविधता पंजिका (PBR) के सम्बन्ध में बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया गया।

(iv) वर्ष 2013 में अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर मनाये गये कार्यक्रम का विवरण बोर्ड के सदस्यों को दिया गया।

(v) विरासतीय स्थल (Biodiversity Heritage site) के गठन के सम्बन्ध में डा० चन्द्र सिंह नेगी द्वारा 13 चयनित विरासतीय स्थल हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड से अनापत्ति हेतु अनुरोध किया गया है जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(vi) भारत, चीन और नेपाल के साझा 'पवित्र कैलाश' भूक्षेत्र संरक्षण और विकास परियोजना (Kailash Sacered Landscape Conservation and Development Initiative-KSLCDI) के तहत पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आवादी के विकास के लिए उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड एवं गो0ब0पन्त, हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी कटारमल, अल्मोडा के मध्य दिनांक 04.03.2014 को Letter of Agreement (LoA) हस्ताक्षरित किया गया, जिसके तहत Access and Benefit Sharing for the Development of Resilient Comunities (Component-3) के क्रियान्वयन का दायित्व उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को निर्वाह करना है। इसके अन्तर्गत अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (BMC) का गठन तथा लोक जैव विविधता पंजिका (PBR) बनाये जाने हैं। उक्त परियोजना हेतु गो0ब0पन्त, हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी कटारमल, अल्मोडा द्वारा ₹ 21,27,500/– मात्र की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त परियोजना की जानकारी बोर्ड को दी गयी। बैठक में यह निर्णय हुआ कि परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों का चयन हेतु निदेशक, गोविन्द बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान के साथ बैठक कर किया जायेगा।

(vii) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्नई द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर 56 जैव विविधता प्रबन्ध समिति (BMC) का गठन एवं लोक जैव विविधता पंजिका (PBR) बनाने हेतु ₹ 84,00,000/– मात्र की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(viii) जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 23 एवं 24 में निहित प्राविधानों के अनुरूप जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने के फलस्वरूप उद्भूत लाभों का आनुपातिक अंश, जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य जैव विविधता बोर्ड के निर्देशानुसार जैव विविधता निधि में जमा कराया जाना है। इस सम्बन्ध में विभिन्न संस्थाओं द्वारा जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों के माध्यम से ₹ 80,000/– मात्र की धनराशि आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है। अब तक कुल ₹ 81,000/– मात्र की धनराशि राज्य जैव विविधता बोर्ड की निधि के रूप में जमा है।

3. <u>एजेण्डा नं0–3: विविध प्रकरणों जिन पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया गया:–</u>

(i) वर्ष 2012 में ग्रेट हिमालयन बर्ड काउन्ट का सफल आयोजन किया गया जिसमें ₹7,00,000/– मात्र की स्वीकृत परियोजना के विरूद्ध ONGC द्वारा ₹ 4,11,458.40 मात्र की धनराशि प्राप्त हुई। शेष धनराशि प्राप्त न होने पर उक्त मद के विरूद्ध शेष बिल ₹ 50,089/– मात्र की धनराशि का भुगतान उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के फण्ड से किया गया। इस पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(ii) बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report) 2010–11 एवं 2011–12 का प्रकाशन किया गया है, जिसकी 200 प्रतियां प्रकाशन करने में ₹ 1,00,000/– से अधिक का व्यय हुआ है। वित्तीय अधिकारों को प्रतिनिधायन 2010 के अनुसार प्रकाशन के लिए विभागाध्यक्ष का प्रकाशन का अधिकार ₹ 15,000/– तक है, जो कि विभागाध्यक्ष के अधिकार में नहीं है। इस प्रकार वार्षिक रिपोर्ट 2010–2011 एवं 2011–2012 के प्रकाशन में विभागाध्यक्ष के अधिकार सीमा से अधिक व्यय होने के कारण उक्त प्रकाशन के व्यय के भुगतान की स्वीकृति का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(iii) बोर्ड के प्रथम त्रैमासिक (अप्रैल–जून 2013) पत्रिका "बह्मकमल" का प्रकाशन किया गया है, जिसकी 500 प्रतियां प्रकाशन करने में ₹ 15,000/– से अधिक का व्यय हुआ है। वित्तीय अधिकारों को प्रतिनिधायन 2010 के अनुसार प्रकाशन के लिए विभागाध्यक्ष का अधिकार ₹ 15,000/– तक है, जो कि विभागाध्यक्ष के अधिकार में नहीं है। इस प्रकार त्रैमासिक (अप्रैल–जून 2013) पत्रिका "बह्मकमल" के प्रकाशन में विभागाध्यक्ष के अधिकार सीमा से अधिक व्यय होने के कारण उक्त प्रकाशन के व्यय के भुगतान की स्वीकृति का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(iv) यू0एन0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा वित्त पोषित 07 औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों के समीपवर्ती ग्रामों में लोक जैव विविधता पंजिका (PBR) एवं बस्तिया एवं हरकोट ग्राम पंचायत का जैव सांस्कृतिक–सामुदायिक संलेख (BCP) का प्रकाशन (हिन्दी व अंग्रेजी) में किया गया है। प्रत्येक लोक जैव विविधता पंजिका (PBR) की 10 प्रतियां प्रकाशित करने में ₹ 25,000/- का व्यय हुआ। इस प्रकार 07 लोक जैव विविधता पंजिका (PBR) प्रकाशित करने में 7X25000=₹ 1,75,000/– का व्यय हुआ। वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन, 2010 के अनुसार प्रकाशन के लिए विभागाध्यक्ष का अधिकार ₹ 15,000/– तक है। इस प्रकार लोक जैव विविधता पंजिका (PBR) के प्रकाशन में विभागाध्यक्ष के अधिकार सीमा से अधिक व्यय होने के कारण उक्त प्रकाशन के व्यय के भुगतान की स्वीकृति का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(v) बोर्ड कार्यालय के कार्य संचालन हेतु डी.जी.एस. एण्ड डी द्वारा निर्धारित की गयी दर के आधार पर M/s Royal Enfield (A unit of Eicher Motors Ltd.) एक दुपहिया राजकीय मोटर बाईक बुलेट इलेक्ट्रा ₹1,01,987/– मात्र का अग्रिम भुगतान करने पर माह दिसम्बर 2013 में प्राप्त किया गया। इस पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(vi) डा0 अर्चना बहुगुणा, वैज्ञानिक–सी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में स्ट्रेटेजी एवं एक्सन प्लान (Strategy and Action Plan) में योगदानकर्ताओं को ₹ 1,15000/– मात्र का मानदेय दिया गया है। इस पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

4. **एजेण्डा नं0–4: बजट सम्बन्धी बिन्दुओं का प्रस्तुतीकरण व अनुमोदन प्राप्त करना :–**

(i) वर्ष 2013–14 में बोर्ड की बैठक नहीं हो पाने के कारण वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट का अनुमोदन नहीं लिया जा सका। अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 के निम्न बजट का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया–

मानक पद	प्रस्तावित धनराशि (रू0 हजार में)
वेतन	2100.00
मंहगाई भत्ता	1500.00
पर्वतीय विकास भत्ता व अन्य भत्ता	41.00

मकान किराया भत्ता	600.00
मजदूरी	4540.00
यात्रा भत्ता	360.00
जैव विविधता पंजिका बनाना	2400.00
मानदेय	50.00
कार्यालय व्यय	87.00
विद्युत देय	48.00
जलकर	05.00
लेखन सामग्री	100.00
कार्यालय फर्नीचर	100.00
टेलीफोन पर व्यय	150.00
मोटर गाडियों की अनुरक्षण व पेट्रोल की खरीद	460.00
किराया उपशुल्क कर	384.00
प्रकाशन	200.00
आतिथ्य व्यय	100.00
मशीन सज्जा और सयंत्र	150.00
कम्प्यूटर अनुरक्षण	75.00
अन्य व्यय	5350.00
प्रशिक्षण	200.00
योग –	**1,90,00.00** **(रूपया एक करोड़ नब्बे लाख मात्र)**

(ii) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक सा.क्षे./पी.ए.जी./यू.के./जै0वि0बो0/340 दिनांक 04.07.2012 के क्रम में श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा बनायी गयी उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) एवं निम्न आय–व्यय का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया–

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (Opening Balance)	आय	व्यय
2011–12	62,24,514.00	29,50,000.00	56,54,619.00
2012–13	23,89,895.00	94,78,479.40	64,65,642.00

(iii) इस कार्यालय के पत्रांक 463/जै०वि०बो० 3–1–(लेखा) दिनांक 24.02.2014 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2013–14 के उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की लेखाओं की तुलन पत्र (Balance Sheet) एवं लेखा परीक्षण (Audit) किये जाने के सम्बन्ध में वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून ने अपने पत्रांक SS/Misc/Accounts/2012/45/1389 दिनांक 20.03.2014 द्वारा सूचित किया है कि:– क्या श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति आपके कम्पनी की लेखापरीक्षा करने के लिये Comptroller & Auditor General of India (CAG) द्वारा किसी पत्रांक के अनुसार हुई है? यदि हां, उसकी एक प्रतिलिपि जिसके अनुसार श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून के लिये तथा Comptroller

& Auditor General of India (CAG) द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा शुल्क सहित भेजने की कृपा करें। यदि नहीं, तो यह उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून के निदेशक मण्डल का अपना निर्णय होगा कि वह किसी भी चार्टेड एकाउन्टेन्ट फर्म से लेखापरीक्षा करा सकती है। इस विषय पर इस कार्यालय का अपना कोई मत नहीं है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति Comptroller & Auditor General of India (CAG) के द्वारा नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2013–14 का आय–व्यय का विवरण, वित्तीय वर्ष 2013–14 की तुलन पत्र (Balance Sheet) बनने के उपरान्त ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। अतः श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट से वित्तीय वर्ष 2013–14 के बोर्ड के लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet) एवं लेखा परीक्षण (Audit) कराने का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(iv) वित्तीय वर्ष 2014–15 के निम्न प्रकार प्रस्तावित बजट का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया–

मानक पद	प्रस्तावित धनराशि (रू० हजार में)
वेतन	2200.00
मंहगाई भत्ता	2000.00
पर्वतीय विकास भत्ता व अन्य भत्ता	55.00
मकान किराया भत्ता	700.00
मजदूरी	5300.00
यात्रा भत्ता	320.00
जैव विविधता पंजिका बनाना	2000.00
मानदेय	100.00
विद्युत देय	60.00
जलकर	6.00
टेलीफोन पर व्यय	135.00
लेखन सामग्री	100.00
कार्यालय व्यय	190.00
कार्यालय फर्नीचर	100.00
मोटर गाडियों की अनुरक्षण व पेट्रोल की खरीद	800.00
किराया उपशुल्क कर	384.00
प्रकाशन	200.00
आतिथ्य व्यय	100.00
मशीन सज्जा और सयंत्र	150.00
कम्प्यूटर अनुरक्षण	300.00
अन्य व्यय	4600.00
प्रशिक्षण	200.00
योग –	2,00,00.00 (रूपये दो करोड मात्र)

5. **एजेण्डा नं0–5: उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के संशोधित ढांचे का अनुमोदन प्राप्त करना :–**

इस कार्यालय के पत्र संख्या 278/जै0वि0बो0 16–6 (ढॉचा) दिनांक 20.09.2013 द्वारा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड का निम्न प्रकार संशोधित ढांचा जो कि शासन को प्रेषित किया गया है, के सम्बन्ध में बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया गयाः–

भाग–1

क्र0 सं0	पद	पद संख्या	वेतनमान (₹)	ग्रेड वेतन (₹)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	अध्यक्ष	01 (एक)	67000-79000 से अनिम्न न हो	-	अध्यक्ष पद की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी तथा वेतन उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों के अनुसार तय किया जायेगा।
2.	सदस्य सचिव	01 (एक)	37400-67000	10000	शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य अधिकारी।
3.	उपनिदेशक	01 (एक)	15600-39100	6600	शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये राज्य वन सेवा के उप निदेशक स्तर के समतुल्य अधिकारी।

भाग–2

क्र0 सं0	पद	पद संख्या	वेतनमान (₹)	ग्रेड वेतन (₹)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अनुसंधान अधिकारी (क्षमता निर्माण एवं डॉक्यूमेंटेशन)	01 (एक)	15600-39100	5400	प्रतिनियुक्ति या वाहय श्रोत से
2	अनुसंधान अधिकारी (परियोजना)	01 (एक)	15600-39100	5400	तदैव
3	अनुसंधान अधिकारी (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	01 (एक)	15600-39100	5400	तदैव
4	प्रोग्रामर सहायक	01 (एक)	15600-39100	5400	वाहय श्रोत से
5	तकनीकी सहयोगी	05 (पांच)	बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदेय जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रचलित दरों से अनधिक होगा।	-	वाहय श्रोत से
6	प्रशासनिक अधिकारी	01 (एक)	9300-34800	4600	प्रतिनियुक्ति या वाहय श्रोत से
7	प्रधान सहायक	01 (एक)	9300-34800	4200	प्रतिनियुक्ति या वाहय श्रोत से।
8	वरिष्ठ सहायक	01 (एक)	5200-20200	2800	प्रतिनियुक्ति या वाहय श्रोत से।
9	सहायक लेखाकार	01 (एक)	5200-20200	2800	तदैव
10	वैयक्तिक सहायक	02 (दो)	5200-20200	2800	तदैव
11	कम्प्यूटर आपरेटर	02 (दो)	5200-20200	1900	तदैव
	योग	17 (सत्रह)			

बैठक में बोर्ड के सदस्यों द्वारा निम्न निर्णय भी लिये गयेः—

1. बोर्ड के ढांचे के संशोधन के सम्बन्ध में उपनिदेशक के स्थान पर अपर निदेशक जिनका वेतनमान ₹ 15,600—39,100 ग्रेड वेतन ₹ 7,600/— (उप वन संरक्षक के समतुल्य) होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, औषधीय एवं सगन्ध पौध, उद्यान जैसे अन्य विषयों से सम्बन्धित अनुसंधान के पदों को तथा एक कानूनी सलाहकार के पद को भी बोर्ड के ढांचे में सम्मिलित किया जाये तथा बोर्ड के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत Floral, Faunal एवं Agro Biodiversity के विशेषज्ञ वैज्ञानिक की नियुक्ति श्रेणी—बी (वैज्ञानिक—बी) के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के रूप में प्रस्तावित ढांचे में सम्मिलित की जायें।
2. जैव विविधता विरासतीय स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में डा० चन्द्र सिंह नेगी, प्रवक्ता, राजकीय महाविद्यालय, पिथौरागढ द्वारा प्रस्तुत की गयी 13 पवित्र वनों की प्राथमिक रिपोर्ट की समीक्षा पुनरीक्षण समिति द्वारा कराया जाए, जिसमें डा० गिरिजा पाण्डे (प्रो० उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी), डा० आर०के० मैखुरी (वैज्ञानिक, गो०ब०पं०हि०प० संस्थान, कोसी—कटारमल, अल्मोडा), डा०बी०पी० भट्ट (एच०आर०डी०आई०गोपेश्वर), डा० पी०सी० पाण्डे, (प्रो० कुमाऊं विश्वविद्यालय) एवं डा० प्रशांत केशव पुशलकर (वैज्ञानिक, बी०एस०आई०, देहरादून) को सम्मिलित किया जाये। समिति के समक्ष डा० नेगी द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में शीघ्र बैठक कर ली जाये।
3. बैठक में वर्तमान में संचालित उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के कार्यालय भवन के अपर्याप्त होने के बिन्दु पर भी विस्तार से चर्चा हुई, जिस पर बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार नये भवन को किराये पर लेने का अनुमोदन किया गया।
4. उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा अभिनव कार्यः—बोर्ड द्वारा गुजर, थारू, जौनसारी, बोक्सा, समुदायों पर जैव सास्कृतिक सामुदायिक संलेख (Bioclutural Community Protocol) तैयार किये जाने प्रस्तावित हैं। बोर्ड के सदस्यों द्वारा निम्न अभिनव कार्य कराये जाने का सुझाव दिया गयाः—
   - (क) प्रदेश में यारसागम्बू (Cordyceps species) के प्राकृतवास व उपस्थिति (occurrence) के सम्बन्ध में अध्ययन।
   - (ख) चयनित प्रजातियों के लिये मूल्य श्रृंखला आंकलन (Value Chain Assessment) कराया जाये।
   - (ग) प्रदेश में आयोजित किये जाने वाले मेलों में स्टाल लगाकर जैव विविधता संरक्षण के सम्बन्ध में जागरूकता की जाये।
   - (घ) विभिन्न जिलों में जागरूकता शिविर आयोजित किये जायें।
   - (ङ) बोर्ड द्वारा तकनीकी संस्थाओं यथा वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून, भारतीय वन्य जन्तु सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लान्ट जैनेटिक रिसर्च, भवाली, नैनीताल, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून आदि के साथ भी Colloboration किया जाये।

अनुमोदित

(डा० राकेश शाह)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

(जी०एस० पाण्डे)
सदस्य—सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।